Sh. S.B. Dhote

CPI.

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011 (म. प्र.)

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95, 97, फैक्स : (0755) 2552363, 2552364

भोपाल,दिनांक 29.7.09

क्रमांक / राशिके / ईएण्डआर / 2009 / 5242

प्रति,

1. आयुक्त,
 लोक शिक्षण संचालनालय,भोपाल (म.प्र.)

2. आयुक्त,
 आदिवासी विकास विभाग,
 सतपुड़ा भवन,भोपाल

विषयः सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 तथा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के पदो के आंवटन विषयक।

संदर्भः 1. स्कूल शिक्षा का पत्र क्रमांक एफ 57–14 / 08 / 20–2(बी) दिनांक 18.07.08 (सैटेलाईट शालाओं हेतु)
2. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्रमांक राशिके / ईएण्डआर / 2008 / 3153 दिनांक 22.05.08 (माध्यमिक शाला हेतु)
3. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्रमांक राशिके / ईएण्डआर / 2008 / 3603 दिनांक 7.06.08 (माध्यमिक शाला हेतु)

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत खोली गई सैटेलाईट शालाओं तथा प्राथमिक शालाओं के उन्नयन से खोली गई माध्यमिक शालाओं हेतु क्रमशः संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 तथा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के पद संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त / जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से पदपूर्ति के लिए रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित करने हेतु दिये गये है। सुलभ संदर्भ के लिए आदेशों की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर पुनः प्रेषित है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तगत संदर्भित आदेश सरल क्रमांक 2 तथा 3 के द्वारा माध्यमिक शालाओं के लिए 3648 पद विज्ञान समूह 2518 पद गणित समूह तथा 2518 पद सामाजिक अध्ययन समूह के लिए दिए गए थे। सर्वशिक्षा अभियान एवं प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार अधिनियम के आधार पर माध्यमिक शालाओं में विषय समूह मान से शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। हाल ही में शालाओं में विषय समूह मान से उपलब्ध शिक्षकों की जानकारी एकत्रित करने पर यह जानकारी में आया है, कि कई शालाओं में विज्ञान एवं गणित विषयसमूह के शिक्षक उपलब्ध नहीं है तथा सामाजिक विज्ञान समूह के शिक्षक अधिक संख्या में उपलब्ध है। यदि ऐसी स्थिति हो तो उक्त पदों मे से सामाजिक अध्ययन समूह के 2518 पदों की पूर्ति अन्य माध्यमिक शाला के सामाजिक अध्ययन समूह के शिक्षकों से की जा सकती है तथा जिन शालाओं से सामाजिक अध्ययन समूह के शिक्षक लिए जावेगें उन शालाओं में आवश्यकता अनुसार गणित एवं विज्ञान विषय समूह के संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 की भर्ती की जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि जिले में सर्व शिक्षा अभियान की शालाओं के स्वीकृत पदों को जिले के कुल पदों में सम्मिलित कर शालावार विषय समूह के मान से रिक्त पदों की गणना कर पदपूर्ति की जावेगी ताकि सभी शालाओं में गणित एवं विज्ञान समूह के पद एवं शिक्षक उपलब्ध हो सके।

रिक्त पदो के विरूद्ध भरे पदो के विषय में समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि कतिपय जिलों द्वारा रिक्त पदों की गणना में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत आंवटित पदों को सम्मिलित नही किया है। अतः अनुरोध है कि आप अपने स्तर से इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त से करवा ले कि रिक्त पदों की गणना में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत आंवटित पदों को सम्मिलित किया गया है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / शिक्षाकर्मी / 2009 / 568 भोपाल, दिनांक 27/8/09

प्रतिलिपि :–

1 समस्त कलेक्टर,
2 समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / जनपद पंचायत,
4 समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत,
5 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ, संलग्न निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

26/8/06

(एस.बी. धोटे)
सहायक संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

E:kiran 2008/All Letter/